सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

एम एस एम ई हेतु विभिन्न स्कीम

2025-26

एम.एस.एम.ई हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अति महतवपूर्ण हैं क्योंकि यह नवपरिवर्तन और रोजगार प्रदान करते हैं तथा विकास में उल्लेखनीय योगदान देते है। हमारी सरकार इस क्षेत्र को अत्यधिक प्राथमिकता प्रदान कर रही हैं।

श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री

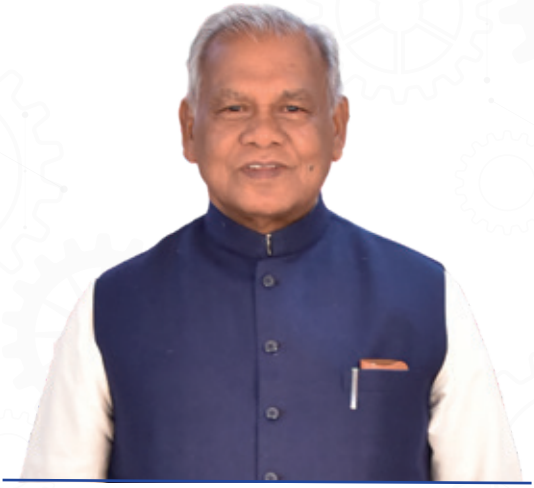

"एमएसएमई आर्थिक विकास, नवाचार और रोजगार के सबसे सशक्त वाहकों में से हैं।"

श्री जीतन राम मांझी

केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

"आत्मनिर्भर और विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अपनी विभिन्न स्कीम के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहा है।"

सुश्री शोभा करांदलाजे

केंद्रीय राज्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, श्रम एवं रोजगार

विषय सूची

एमएसएमई मंत्रालय और इसके संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न स्कीम

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) **06**
   1.1. मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए दूसरा ऋण **08**
2. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएमएसई) **11**
3. सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) स्कीम **13**
4. परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) **15**
5. उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) **17**
6. प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता (एटीआई) स्कीम **19**
7. कयर विकास योजना **20**
8. प्रापण और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम **23**
9. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम **25**
10. राष्ट्रीय एससी-एसटी हब स्कीम **28**
11. नवप्रर्वतन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर) **30**
12. खादी ग्रामोद्योग विकास योजना **32**
    I. खादी विकास योजना **32**
    II. ग्रामोद्योग विकास योजना **33**
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन **36**

विभिन्न नई स्कीम

14. पी एम विश्वकर्मा - कारीगरों और शिल्पकारों को उद्यम संवर्धन में सक्षम बनाना **39**
15. टूल रूम और तकनीकी संस्थाएं **42**
16. एमएसएमई चैम्पियंस स्कीम **44**
    1). एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणनन **44**
    2). एमएसएमई-नवप्रवर्तन (इंक्यूबेशन, आईपीआर और डिजाइन) **48**
    3). एमएसएमई- प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम **52**
17. एसआरआई कोष **55**
18. एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प) **57**
19. महत्वपूर्ण संपर्क नंबर **61**

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

उद्देश्यः

- स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्व-रोजगार के उपक्रम स्थापित करने और रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- ग्रामीण और बेरोजगार युवाओं के साथ-साथ भावी परंपरागत कारीगरों के लिए सतत् और निरंतर रोजगार के अवसर सृजित करना ताकि व्यावसायिक पलायन को रोका जा सके।

प्रमुख लाभः

- गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म-उद्यमों को स्थापित करने के लिए ऋण संबद्ध राजसहायता कार्यक्रम।
- विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी परियोजना लागत का 15% से लेकर 35% तक होगी।
- विशेष श्रेणियों, जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अवकाश-प्राप्त सैनिकों, ट्रांसजेंडर, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर,पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्र (सरकार द्वारा यथाअधिसूचित) से संबंधित लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है।

यह स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू है :

- 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

विस्तृत जानकारीः

- लाभार्थियों का स्वयं का अंशदान सामान्य श्रेणी के मामले में परियोजना लागत का 10% तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के मामले में परियोजना लागत का 5% है।

- यदि ऋण के लिए आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो बैंक लाभार्थियों द्वारा इकाई स्थापित करने के लिए कुल परियोजना लागत का 90 या 95% शेष राशि स्वीकृत और जारी कर देते हैं।
- स्कीम के अंतर्गत स्थापित परियोजनाओं/इकाइयों की निरंतरता को बनाए रखने के उद्देश्य से जागरूकता शिविरों, कार्यशालाओं, लाभार्थियों को ईडीपी प्रशिक्षण,प्रदर्शनियां इत्यादि जैसे कार्यक्रम आयोजित कर बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज के रूप में भी सहायता सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- भारत सरकार ने आवेदन प्राप्त करने और मार्जिन मनी सीधे वित्तीयन शाखाओं को संवितरित करने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है।
- ई-पोर्टल पर व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अनिवार्य है। आवेदन फार्म/पीएमईजीपी एमआईएस पोर्टल मोबाइल अनुकूल है। प्रत्येक चरण पर प्रणाली द्वारा स्वतः अथवा संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदक को एसएमएस अलर्ट भेजा जाता है।
- विभिन्न कार्यकलापों की मॉडल विस्तृत परियोजनाओं की रिपोर्टें भावी लाभार्थियों के लाभ के लिए पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर उपलब्ध है।
- देश में एमएसएमई के पंजीकरण को बढ़ाने के लिए, सरकार ने पीएमईजीपी इकाइयों के लिए उपाय शुरू किए हैं ताकि उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम)/उद्यम पंजीकरण हो सके।

आवेदन कैसे करें :

- आवेदन करें:
  https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome

1.1) मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए द्वितीय ऋण

उद्देश्यः

- विस्तार और उन्नयन के लिए मौजूदा इकाइयों की सहायता करने के उद्देश्य से, स्कीम में सफल/बेहतर कार्य-निष्पादक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- नई प्रौद्योगिकी/स्वचालन लाकर मौजूदा इकाई का आधुनिकीकरण करना।

प्रमुख लाभ:

- अधिकतम सब्सिडी परियोजना लागत की 15 प्रतिशत होगी (पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों के लिए 20 प्रतिशत)। कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी।

स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू हैः

- मौजूदा बेहतर कार्यनिष्पादन करने वाली पीएमईजीपी/ आरईजीपी/ मुद्रा इकाइयां।

विस्तृत जानकारीः

- वर्ष 2018-19 से विनिर्माण और सेवा/व्यापार इकाइयों के लिए मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के विस्तार/उन्नयन हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता स्कीम।
- विनिर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत उन्नयन हेतु परियोजना की अधिकतम लागत 1.00 करोड़ रुपये और सेवा/व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत 25.00 लाख रुपये है।
- पीएमईजीपी/मुद्रा स्कीमों के अंतर्गत वित्तपोषित सभी मौजूदा इकाइयां जिनके मार्जिन मनी दावों का समायोजन कर दिया गया है और जिन्होंने लिए गए प्रथम ऋण को निर्धारित समय के भीतर चुका दिया है, लाभ के पात्र हैं।

- इकाइयां पिछले तीन वर्षों से लाभ अर्जित कर रही हों।
- लाभार्थी उसी वित्तप्रदाता बैंक (जिसने उनकी इकाई के लिए ऋण स्वीकृत किया था) अथवा किसी अन्य वित्तप्रदाता बैंक में आवेदन कर सकता है, जो दूसरे ऋण की सुविधा प्रदान करने का इच्छुक हो।
- लाभार्थी किसी भी कार्यान्वयन एजेंसी का चयन कर सकता है और वह पहले ऋण के लिए चयनित एजेंसी से भिन्न हो सकती है।
- उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम)का पंजीकरण/उद्यम पंजीकरण अनिवार्य है।
- दूसरे ऋण से अतिरिक्त रोजगार सृजन होना चाहिए।
- उन्नयन के लिए दूसरे ऋण के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने के लिए, लाभार्थियों को पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर आवेदन फार्म भरकर आवेदन करना होता है।

आवेदन कैसे करें:

- **https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome** पर आवेदन करें।

"एम एस एम ई हमारे देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाते हैं, हम इस क्षेत्र को पोषित करने और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

— *माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी*

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएमएसई)

उद्देश्यः

- सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को सम्पार्श्विक मुक्त/तृतीय पक्ष गारंटी-मुक्त ऋणों के लिए ऋण गारंटी सहायता सुविधा प्रदान करके पहली पीढ़ी के उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर वाले उद्यमों को अपनाने हेतु प्रोत्साहन देना।

प्रमुख लाभः

- दिनांक 01.04.2025 से बिना किसी संपार्श्विक और तीसरे पक्ष की गारंटी के 10 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ऋण गारंटी।
- गारंटी कवरेज 75% से 90% तक की है।

योजना किस हेतु लागू की गई है:

- उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत एमएसई।

पात्र क्रियाकलापः

- एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार सभी पात्र क्रियाकलाप।

विस्तृत जानकारीः

- पात्र सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा नए और मौजूदा एमएसई [सेवा उद्यमों, व्यापार (खुदरा/थोक व्यापार) और शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थाओं सहित] को दी जाने वाली कोई भी संपार्श्विक/तृतीय-पक्ष गारंटी-मुक्त ऋण सुविधा इस स्कीम के अंतर्गत गारंटी के लिए पात्र है जिसमें अधिकतम गारंटी सीमा 10 करोड़ रुपये की होगी।

- हाइब्रिड सुरक्षा मॉडल भी मान्य है जिसमें पात्र ऋणदाताओं (एमएलआई) को क्रेडिट सुविधा के एक हिस्से के लिए संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त करने की अनुमति है, जबकि ऋण सुविधा के शेष असुरक्षित हिस्से को (अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक) स्कीम के अंतर्गत कवर किया जा सकता है।
- ऋणकर्ता की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत गारंटी कवरेज की सीमा का विवरण निम्नानुसार है:

<table>
<tr><td rowspan="2">श्रेणी (ट्रेडिंग गतिविधि सहित)</td><td colspan="3">गारंटी कवरेज की अधकितम सीमा जहां गारंटीकृत ऋण सुविधा है</td></tr>
<tr><td>5 लाख रुपये तक</td><td>5 लाख रुपये से अधकि और 50 लाख रुपये तक</td><td>50 लाख रुपये से अधकि और 5 करोड़ रुपये तक</td></tr>
<tr><td>सूक्ष्म उद्यम</td><td>85%</td><td>75%</td><td rowspan="2">75%</td></tr>
<tr><td>पूर्वोत्तर क्षेत्र, संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख स्थित एमएसई</td><td colspan="2">80%</td></tr>
<tr><td>महिला उद्यमियों द्वारा संचालित एमएसई / अग्निवीरों द्वारा प्रवर्तित एमएसई</td><td colspan="3">90%</td></tr>
<tr><td>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों / आकांक्षी जिले में स्थित एमएसई / जेडईडी प्रमाणित एमएसई / दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) द्वारा संवर्धित एमएसई</td><td colspan="3">85%</td></tr>
<tr><td>अन्य सभी श्रेणी के कर्जदार</td><td colspan="3">75%</td></tr>
<tr><td colspan="4">भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिन्हित कम ऋण वाले जिलों (आईसीडीडी) में स्थित एमएसई के लिए गारंटी कवरेज की सीमा लागू गारंटी कवरेज के अतिरिक्त 5% है (अर्थात 75% की गारंटी कवरेज के लिए कवरेज 80% होगी, 80% के लिए 85% होगी, 85% के लिए 90% होगी तथा 90% के लिए 95% होगी)।</td></tr>
</table>

आवेदन कैसे करें:

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) के एमएलआई (बैंक/एनबीएफसी) के माध्यम से।
- विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए कृपया https://www.cgtmse.in पर जाएं।

सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) स्कीम

उद्देश्यः

- प्रौद्योगिकी, कौशल एवं गुणवत्ता, बाजार पहुँच में सुधार आदि जैसे सामान्य मुद्दों का समाधान करके एमएसई की सततता,प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास को बढ़ाना।
- एमएसई के नए/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टरों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन/ उन्नयन करना।
- साझा सुविधा केन्द्र स्थापित करना (परीक्षण, प्रशिक्षण, कच्चा माल डिपो, औद्योगिक अपशिष्ट शोधन, उत्पादन प्रक्रियाओं में सहयोग आदि के लिए)।
- क्लस्टरों के लिए हरित एवं सतत् विनिर्माण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

प्रमुख लाभः

- प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित सामान्य सुविधा केंद्रों का निर्माण।
- अवसंरचना विकास परियोजनाओं हेतु बहुमंज़िले (फ्लैटेड) कारखाना परिसरों सहित सहायता प्रदान करना।

स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू हैः

- मौजूदा उद्यमी [विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में (एसपीवी)]

विस्तृत जानकारीः

- सामान्य सुविधा केंद्रः सामान्य उत्पादन/प्रसंस्करण केंद्र, डिजाइन केंद्र, प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित परीक्षण सुविधाओं जैसी "मूर्त परिसंपत्तियों" का निर्माण। भारत सरकार की सहायता: 30 करोड़ रुपये की अधिकतम परियोजना लागत का 80% तक है।

- **अवसंरचना विकासः** नए/मौजूदा औद्योगिक (बहु-उत्पाद) क्षेत्रों/सम्पदाओं/बहुमंज़िला (फ्लैटेड) कारखाना परिसर में भूमि, सड़क, जल-निकासी, विद्युत वितरण इत्यादि का विकास करना। भारत सरकार की सहायताः अधिकतम 15 करोड़ रुपये की परियोजना लागत का 70% तक।

आवेदन कैसे करें:

- **https://cluster.dcmsme.gov.in** पर करें।

परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)

उद्देश्य:

- उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उत्पादन बढ़ाकर और मूल्य वर्धन करते हुए परंपरागत उद्योगों और कारीगरों को समूहों में संगठित करना।
- परंपरागत क्षेत्रों का संवर्धन करना और सतत रोजगार देते हुए कारीगरों की आय को बढ़ाना।

प्रमुख लाभ:

- **भारत सरकार की सहायता:**
- 500 कारीगरों तक के लिए 2.5 करोड़ रुपये तक।
- 500 से अधिक कारीगरों के लिए 5 करोड़ रुपये तक।
- नवीनतम मशीनों के साथ एक उत्पादन सुविधा स्थापित की जाती है।
- कच्चे माल की सहायता।
- **सॉफ्ट इंटरवेंशन – 25 लाख रुपये तक**
- कौशल विकास
- एक्सपोजर विजिट
- क्रेता-विक्रेता मीट
- विपणन संपर्क, ई-कॉमर्स
- डिज़ाइन सहायता

यह स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू है:

- हस्तशिल्प, वस्त्र, कृषि-प्रसंस्करण, बांस, शहद, कयर, खादी आदि जैसे क्षेत्रों में परंपरागत उद्योगों से मौजूदा कारीगर।

विस्तृत जानकारीः

- कार्यान्वयन एजेंसियों (राज्य/केन्द्र सरकार के संगठन, गैर-सरकारी संगठन) द्वारा कारीगरों को स्पेशल परपस व्हीकल (एसपीवी) में रखा जाता है, जिन्हें भूमि उपलब्ध करानी होती है और हार्ड इंटरवेंशन का 10% अंशदान (पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और पर्वतीय क्षेत्रों में 5%) करना होता है।

- भारत सरकार द्वारा हार्ड इंटरवेंशन लागत की 90% राशि (पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 95%) और सॉफ्ट इंटरवेंशन तथा तकनीकी एजेंसी शुल्क और कार्यान्वयन एजेंसी शुल्क की पूरी लागत वहन करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

- विस्तृत दिशा-निर्देश **https://sfurti.msme.gov.in/SFURTI/Home.aspx** पर उपलब्ध हैं।

आवेदन कैसे करें:

- **https://sfurti.msme.gov.in/SFURTI/Home.aspx** पर करें।

उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) स्कीम

उद्देश्य:

- नए उद्यमों को बढ़ावा देना, मौजूदा एमएसएमई की क्षमता वर्धन और देश में उद्यमशीलता की संस्कृति को विकसित करना।

प्रमुख लाभ:

- समाज के विभिन्न वर्गों में विकास, उपलब्धि, प्रेरणा और उद्यमशीलता कौशल द्वारा उद्यमिता के आधार को विस्तृत करना।

स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू है:

- आकांक्षी और मौजूदा उद्यमी।

विस्तृत जानकारी:

- उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी)- कैरियर विकल्प के रूप में उद्यमीयों/एससी/एसटी/महिलाओं, दिव्यांगजनों, भूतपूर्व-सैनिकों और बीपीएल व्यक्तियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों को उद्यमिता/स्व-रोजगार जागरूकता और अभिप्रेरणा के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
- उद्यमिता सह-कौशल विकास कार्यक्रम (ई-एसडीपी) कृषि आधारित उत्पादों, होजरी, खाद्य और फल प्रसंस्करण उद्योग, कारपेट बुनाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कार्यशाला/ मशीन शॉप, हीट ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बेसिक/ उन्नत वेल्डिंग/ फैब्रिकेशन/ शीट मेटल वर्क/ बेसिक/उन्नत बढ़ई गिरी, ग्लास और सिरेमिक्स आदि में छः सप्ताह का उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण संचालित किया जाता है।
- एडवांस ई-एसडीपी: एक सप्ताह का एडवांस ईएसडीपी कार्यक्रम आईआईएम/आईआईटी/आईसीएआर/सीएसआईआर/बीएआरसी/आईआईए ससी/एनआईटी/केंद्र और राज्य सरकार के कृषि विश्वविद्यालय आदि के माध्यम से आयोजित किया जाता है।

- **प्रबंधन विकास कार्यक्रम(एमडीपी)-** मौजूदा उद्यमियों और उनके पर्यवेक्षी कर्मचारियों को औद्योगिक प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, विपणन प्रबंधन, निर्यात प्रबंधन/दस्तावेजीकरण और कार्यविधि, सामग्री (मैटेरियल) प्रबंधन, वित्तीय/कार्यशील पूंजी प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल विपणन, गुणवत्ता प्रबंधन/क्यूएमएस/आईएसओ 9000/ईएमएस, डब्ल्यूटीओ, आईपीआर, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, खुदरा प्रबंधन, संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) प्रबंधन आदि जैसे विषयों में प्रबंधन क्षमता निर्माण के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

- **अग्रिम एमडीपीः** एक सप्ताह का अग्रिम एमडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम आईआईएम/आईआईटी/आईसीएआर/सीएसआईआर/बीएआरसी/आईआई एससी/एनआईटीएस/केंद्र और राज्य सरकारों के कृषि विश्वविद्यालयों और/या केंद्र या राज्य सरकारों के इस क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों/क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों/केंद्र/राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों/राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) के माध्यम से एमएसएमई प्रमोटरों/कार्यकारियों को एमडीपी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है।

आवेदन कैसे करें:

- एमएसएमई-डीएफओ, एमएसएमई-टेक्निकल सेंटर और ईएसडीपी योजना के अंतर्गत अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों की वेबसाइटों के माध्यम से आवेदन करें।

- स्कीम लिंक - **http://dcmsme.gov.in/Enterprise&skillDevelopment.htm और http://msmedi.dcmsme.gov.in है।**

प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) स्कीम

विवरण :

- एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत, संचालित राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों, नामतः निम्समे, केवीआईसी, कयर बोर्ड, टूल रूमों, एनएसआईसी एवं एमगिरि को अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और सृजन के उद्देश्य से तथा उद्यमिता विकास और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सहायता के लिए पूंजीगत अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्र में स्थित जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) सहित मौजूदा राज्य स्तरीय ईडीआई और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले प्रशिक्षण संस्थानों को भी उनके प्रशिक्षण अवसंरचना के निर्माण या सुदृढ़ीकरण/विस्तार के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

सहायता की प्रकृति:

- इस मंत्रालय की प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा अपेक्षित अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण/विस्तार के लिए सहायता राशि वास्तविक राशि से अधिक नहीं होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में स्थित जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) सहित राज्य स्तरीय ईडीआई और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली प्रशिक्षण संस्थाओं को अधिकतम सहायता प्रत्येक मामले में 3.00 करोड़ रुपये तक सीमित होगी। कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता निर्धारित दरों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

आवेदन कौन कर सकता है:

- एमएसएमई मंत्रालय के संस्थान, मौजूदा राज्य स्तरीय ईडीआई, पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्र में स्थित जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) सहित राज्य सरकार के स्वामित्व वाले प्रशिक्षण संस्थान।

आवेदन कैसे करें:

- अवसंरचना के निर्माण या सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता के लिए आवेदन करने के इच्छुक संगठन अपने आवेदन निदेशक/उप सचिव (ईडीआई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सेंट्रल विस्ता-3 (द्वितीय तल),जनपथ, नई दिल्ली -110001 को भेज सकते हैं।

किनसे संपर्क करें:

- उप सचिव (ईडीआई), एमएसएमई मंत्रालय
- स्कीम लिंक - **https://ati.msme.gov.in**

"एमएसएमई क्षेत्र भारत के विनिर्माण और औद्योगिक विकास की आधारशिला है।"

— *श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री*

कयर विकास योजना – सर्वसमावेशी स्कीम

कयर विकास योजना (सीवीवाई) एक सर्व समावेशी स्कीम है जिसे कयर बोर्ड द्वारा पूरे देश में कयर उद्योग के विकास के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है।

उद्देश्यः

- उत्पादन के आर्थिक स्तर पर देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग बढ़ाना।
- औद्योगिक से जुड़े श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों की आय/प्रतिफल को बढ़ाना।
- देश और विदेश में उत्पादों की बाजार क्षमता का पूर्ण उपयोग करना और उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएँ प्रदान करना।
- उन्नत उपकरण मशीनरी, प्रक्रियाओं और नए उत्पादों का विकास करना।
- कयर उद्योग में बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ावा देना।
- कयर उद्योग के लिए कुशल श्रमशक्ति का विकास, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण और रोजगार सृजन करना।
- कयर श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय।
- तकनीकी कार्यकलाप और विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों के एकीकरण के माध्यम से कयर उद्योग का उन्नयन करना।

इस सर्व- समावेशी स्कीम के अंतर्गत, कयर बोर्ड निम्नलिखित उप-स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है:

I. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

स्कीम के घटक में कयर उद्योग के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन के लिए विभिन्न अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शुरू करने तथा प्रयोगशाला स्तर पर अनुसंधान के परिणामों को फील्ड स्तर पर लागू करने तथा परीक्षण एवं सेवा सुविधा के विस्तार की परिकल्पना की गई है।

II. कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना

क. कौशल उन्नयन

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बोर्ड प्रशिक्षकों की सेवाओं द्वारा मूल्य संवर्धन

प्रसंस्करण पर स्टाइपेंड प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और कयर क्षेत्र में उपलब्ध स्कीमों और नवीनतम प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने और इस क्षेत्र में भावी उद्यमियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, बोर्ड इस स्कीम के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार, जागरूकता कार्यक्रम, एक्सपोजर टूर आदि का आयोजन भी करता है।

ख. महिला कयर योजना

महिला कयर योजना एक महिला उन्मुख, स्वरोजगार स्कीम है जिसे कयर बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य नारियल उत्पादक क्षेत्रों में ग्रामीण महिला कारीगरों को वजीफा सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण प्रदान करना और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।

III. निर्यात बाजार संवर्धन

निर्यात बाजार संवर्धन के अंतर्गत बोर्ड की क्रियाकलापों में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी, प्रचार, निर्यात बाजार विकास सहायता स्कीम/ अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम आदि के अंतर्गत सहायता प्रदान करना शामिल हैं।

IV. घरेलू बाजार संवर्धन

घरेलू बाजार संवर्धन स्कीम के अंतर्गत मुख्य क्रियाकलापों में कयर के शोरूम और बिक्री डिपो के माध्यम से कयर उत्पादों का प्रदर्शन सह बिक्री, अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित घरेलू प्रदर्शनियों में भागीदारी, विशेष मेलों का आयोजन, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कॉयर सहकारी इकाइयों, समितियों आदि को बाजार विकास सहायता (एमडीए) का संवितरण शामिल है।

V. व्यापार और उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएं

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आनेवाले क्रियाकलापों में प्राथमिक और द्वितीय स्तर की सूचना तलाशना, निर्यात सहित सूचना का संग्रह और सांख्यिकीय विश्लेषण, निष्कर्ष निकालना और रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे प्रकाशित करना शामिल होगा।

VI. कल्याणकारी उपाय

कयर बोर्ड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के स्थान पर कयर श्रमिकों के कल्याण के लिए नई कल्याणकारी स्कीम शुरू करने की योजना बना रहा है।

यह स्कीम निम्नलिखित पर लागू है:

- सभी कयर उत्पादन/प्रसंस्करण इकाइयाँ जो कयर बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत हैं और जिनके पास वैध उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र है।

आवेदन कैसे करें:

- स्कीमों का विवरण कयर बोर्ड की वेबसाइट **http://coirboard.gov.in** पर उपलब्ध है।

प्रापण और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम

उद्देश्य:

- देश-भर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/एमएसएमई एक्सपो आदि के आयोजन/भागीदारी जैसी नई बाजार पहुंच पहलों को बढ़ावा देना और विपणन में पैकेजिंग के महत्व/तरीकों/प्रक्रिया, नवीनतम पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, आयात-निर्यात नीति और प्रक्रिया, जीईएम पोर्टल, एमएसएमई कॉन्क्लेव, अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय व्यापार में नवीनतम विकास और बाजार पहुंच विकास के लिए प्रासंगिक अन्य विषयों के बारे में एमएसएमई को जागरूक और शिक्षित करना है।

स्कीम के घटक:

बाजार पहुँच

- व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में एमएसई की व्यक्तिग भागीदारी।
- मंत्रालय/विकास आयुक्त का कार्यालि(एमएसएमई)/सरकारी संगठनों द्वारा घरेलू/अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनी और व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी का आयोजन करना।
- विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी)।

क्षमता निर्माण

- आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों को अपनाना।
- बार कोड को अपनाना।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपनाना।
- राष्ट्रीय कार्यशाला/सेमिनार।
- मंत्रालय/ विकास आयुक्त का कार्यालय(एमएसएमई) द्वारा राष्ट्रीय कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन (पारंपरिक/आभासी)।

खुदरा आउट्लेट का विकास

- भौगोलिक संकेत उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खुदरा आउट्लेट का अवसंरचना विकास।

विस्तृत जानकारी:

- विस्तृत जानकारी हेतु, पीएमएस स्कीम दिशा-निर्देशों का संदर्भ लें। **http://dcmsme.gov.in/OM%20&%20PMS%20Scheme%20Guidelines.pdf**

यह स्कीम निम्नलिखित पर लागू है:

- विनिर्माण/सेवा क्षेत्र के एमएसई के पास वैध उद्यम पंजीकरण (यूआर) प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें:

- **https://my.msme.gov.in/MyMsme/Reg/COM_Matu.aspx** पर आवेदन करें।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना

उद्देश्यः

- इस स्कीम का उद्देश्य एमएसएमई को विदेशों में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेने की सुविधा प्रदान करके निर्यात बाजार में प्रवेश करने के लिए उनकी क्षमता वर्धन करना है, साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में शामिल विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति करना है।
- एमएसएमई को बदलती प्रौद्योगिकी में, मांग में हो रहे परिवर्तन, नए बाजारों के उद्भव आदि से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को लगातार अपडेट करने के अवसर प्रदान करना।

यह स्कीम निम्नलिखित उप- घटकों को कवर करती है:

- उप घटक - I: एमएसएमई के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए)।
- उप- घटक-II: पहली बार के एमएसई निर्यातकों का क्षमता वर्धन (सीबीएफटीई)।

उप-घटक -I के अंतर्गत पात्र संगठन :

- एमएसएमई मंत्रालय और मंत्रालय के अधीन संगठन।
- राज्य/केंद्र सरकार के संगठन/संस्थाएं और पंजीकृत उद्योग/उद्यम संघ आदि।

उप-घटक-I में शामिल क्रियाकलाप :

- एमएसएमई प्रतिनिधिमंडलों की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी (वास्तविक मोड)।
  - स्थान किराए पर लेना (स्टॉल शुल्क): प्रति एमएसएमई 3.00 लाख रुपये तक।
  - इकोनॉमी क्लास हवाई किराया: आवेदक संगठन के पदाधिकारी के लिए प्रति एमएसएमई 1.50 लाख रुपये तक।
  - ड्यूटी भत्ता: पदाधिकारी के लिए प्रति दिन 150 अमेरिकी डॉलर।
  - माल ढुलाई शुल्क: प्रति एमएसएमई इकाई 50,000 रुपये तक और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए प्रति एमएसएमई 75,000 रुपये तक।

- विज्ञापन और प्रचार शुल्क: 5.00 लाख रुपये तक।
- पंजीकरण शुल्क: 5,000/- रुपये तक।

- **विदेशी आयोजकों (आभासी मोड) द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठक में एमएसएमई प्रतिनिधिमंडलों की भागीदारी।**
  - अन्य देशों द्वारा आयोजित वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कैटलॉग/डिजिटल सामग्री शुल्क सहित स्थान/स्टॉल शुल्क: 1.5 लाख रुपये तक।
  - विज्ञापन और प्रचार शुल्क: 14 एमएसएमई इकाइयों तक के प्रतिनिधिमंडल के लिए अधिकतम 2.50 लाख रुपये या वास्तविक खर्च (जो भी कम हो), और 15 एमएसएमई इकाइयों या उससे अधिक तक के प्रतिनिधिमंडल के लिए अधिकतम 5.00 लाख रुपये या वास्तविक खर्च (जो भी कम हो), बशर्ते कि सभी बिलों का प्रस्तुतिकरण किया गया हो।

- **उद्योग संघों/सरकारी संगठनों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र (आभासी मोड) से संबंधित विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/ शिखर सम्मेलनों/कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन।**
  - सम्मेलन/शिखर सम्मेलनों/कार्यशालाओं/सेमिनारों के आयोजन के लिए आभासी स्पेस/प्लेटफॉर्म/लाइसेंस शुल्क किराया 2.00 लाख रुपये तक।
  - कार्यक्रम के प्रचार/विपणन/प्रचार पर होने वाली प्रचार लागत: 5.00 लाख रुपये तक।
  - वर्चुअल इवेंट में शामिल अनुवाद और व्याख्या शुल्क: 1.00 लाख रुपये तक।

- **एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय, उसके संगठनों द्वारा या उद्योग संघों के साथ साझेदारी में भारत में मेगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/शिखर सम्मेलनों/कार्यशालाओं/सेमिनारों, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन (वास्तविक/वर्चुअल मोड)।**

उप -घटक-II

इस घटक के अंतर्गत, आकस्मिक लागत जैसे पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणन (आरसीएमसी); निर्यात बीमा प्रीमियम; परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन की प्रतिपूर्ति पहली बार के एमएसई निर्यातकों को की जाती है। मंत्रालय ने एमएसई को आरसीएमसी शुल्क, निर्यात बीमा प्रीमियम और परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन की प्रतिपूर्ति के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में 21 निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित लिंक पर स्कीम के दिशानिर्देशों को देखेः
http://msme.gov.in/sites/default/files/RevisediCScheme2021.PDF

आवेदन कैसे करें:

- **http://ic.msme.gov.in** पर आवेदन करें।

राष्ट्रीय एससी-एसटी हब स्कीम

उद्देश्य :

- सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में भागीदारी के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाना तथा भारत सरकार की लोकप्रापण नीति के अंतर्गत अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 4% सार्वजनिक खरीद के अधिदेशित लक्ष्य को पूरा करना।

प्रमुख लाभ :

- संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण की खरीद के लिए संस्थागत ऋण पर 25% सब्सिडी (सब्सिडी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये है) प्रदान करना।
- प्रदर्शनियों और विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से विपणन और परामर्शी सहायता प्रदान करना।
- बैंक ऋण प्रसंस्करण, परीक्षण सेवाओं, निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता, सरकार द्वारा प्रवर्तित ई-कॉमर्स पोर्टल्स में सदस्यता, एनएसआईसी की एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम के लिए लगाए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) उद्यमों और उद्यमियों से संबंधित सूचना का संग्रहण, संकलन और सीपीएसई को संप्रेषण करना।
- क्षमता वर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

योजना निम्नलिखित के लिए लागू है :

- आकांक्षी और मौजूदा एससी/एसटी उद्यमी

विस्तृत सूचना :

अक्टूबर 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और सरकार की लोक प्रापण नीति में निर्धारित 4% खरीद अधिदेश को पूरा करने के उदेश्य से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच)

स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम ने अपनी विभिन्न उप-स्कीमों /कार्यकलापों के माध्यम से प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन, ऋण पर सब्सिडी, बाजार संपर्क, बोली में भागीदारी आदि के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं।

एनएसएसएच स्कीम की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं-

- संयंत्र तथा मशीनरी/उपकरण की ख़रीद पर विशेष ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत 25 प्रतिशत सब्सिडी।
- देशभर में विभिन्न सरकारी/स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- विशेष विपणन सहायता स्कीम के अंतर्गत हवाई किराए पर 100 प्रतिशत सब्सिडी और विदेश मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित दैनिक भत्ते का दोगुना।
- एकल केंद्र पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत 100/-रूपए के नाममात्र शुल्क पर एनएसआईसी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी।
- बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क के 80 प्रतिशत अथवा 1 लाख रूपए (जो भी कम हो) की प्रतिपूर्ति।
- निष्पादन बैंक गारंटी पर 80 प्रतिशत अथवा 1 लाख रूपए (जो भी कम हो) की प्रतिपूर्ति।
- परीक्षण शुल्क पर 80 प्रतिशत अथवा 1 लाख रूपए (जो भी कम हो) की प्रतिपूर्ति।
- निर्यात संवर्धन परिषद सदस्यता शुल्क के 80 प्रतिशत अथवा 20,000 रूपए (जो भी कम हो) की प्रतिपूर्ति।
- सरकार-समर्थित ई-कॉमर्स पोर्टल के सदस्यता शुल्क के 80 प्रतिशत अथवा 25,000 रूपए (जो भी कम हो) की प्रतिपूर्ति।
- एनआईआरएफ के अनुसार 50 शीर्ष प्रबंधन संस्थानों के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क के 90 प्रतिशत अथवा 1 लाख रूपए (जो भी कम हो) की प्रतिपूर्ति

आवेदन कैसे करें

- देखें: **https://www.scsthub.in/**

नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर)

उद्देश्य:

- मुख्य रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर (एलबीआई) का नेटवर्क स्थापित करना, ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और निम्नलिखित क्षेत्रों में उद्यमशीलता में तेजी लाई जा सके:
  - कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में औपचारिक, स्केलेबल सूक्ष्म उद्यम सृजन की सुविधा प्रदान करके रोजगार के अवसर सृजित करना।
  - कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों में बेरोजगार, मौजूदा स्व-रोजगारयुक्त/दिहाड़ी मजदूरों का कौशलन, कौशल उन्नयन और पुनर्कौशलन।
  - आस-पास के उद्योगों को कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराना।

मुख्य लाभ :

- संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद के लिए सरकारी एजेंसियों को अधिकतम 1 करोड़ रुपये तथा निजी एजेंसियों को 75 लाख रुपये तक की राशि।
- जनशक्ति लागत, इनक्यूबेशन चालन और कौशल विकास प्रोग्रामों आदि के लिए प्रचालन व्यय सहायता के रूप में सरकारी और निजी एजेंसियों को अधिकतम 1 करोड़ रुपये।

स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू है :

- भारत सरकार/राज्य सरकार की कोई एजेंसी/संस्था या भारत सरकार/राज्य सरकार के मंत्रालयों/ विभागों के अंतर्गत मौजूदा प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग संघ, शैक्षणिक संस्थान
- कोई भी गैर-लाभकारी निजी संस्थान, जिसके पास इनक्यूबेशन और/या कौशल विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का अनुभव हो, एलबीआई स्थापित करने के लिए पात्र है।

विस्तृत जानकारी :

- आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर (एलबीआई): ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान के साथ कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता संवर्धन और रोजगार सृजन संवर्धन के लिए कौशल विकास और इंक्यूबेशन कार्यक्रम प्रदान करने के लिए स्थापित इकाई।

- निजी संगठनों के मामले में, पूंजीगत व्यय का 25% आवेदक संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।
- विस्तृत दिशानिर्देश **https://aspire.msme.gov.in/ASPIRE/AFHome.aspx** पर उपलब्ध हैं।

आवेदन कैसे करें:

- **https://aspire.msme.gov.in/ASPIRE/AFHome.aspx** पर आवेदन करें।

खादी ग्रामोद्योग विकास योजना – सर्व-समावेशी स्कीम

उद्देश्यः

- खादी कारीगरों की उत्पादकता और मेहनतानों को बढ़ाना और उनकी आजीविका को सुरक्षित करना।
- खादी उत्पादन की अवसंरचना को सुधारना
- खादी उत्पादन, बिक्री और रोजगार को बढ़ाना।
- ग्रामोद्योग का विकास और ग्रामीण कारीगरों की संख्या को बढ़ाना।
- ग्रामीण कारीगरों के परंपरागत और अंतर्निहित कौशल को पुनर्जीवित करना।
- बिक्री केन्द्रों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करना।
- विपणन और निर्यात को बढ़ावा देना

मुख्य लाभः

1. खादी विकास योजना

क्र. सं.	घटक	सहायता
1.	संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए)	कपास/मलमल, ऊनी और पॉलीवस्त्र के लिए प्राइम लागत पर 35% की दर से सब्सिडी और रेशमी खादी के लिए प्राइम लागत पर 20% की दर से सब्सिडी
2.	ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र स्कीम (आईसेक)	खादी संस्था को केवल 4% ब्याज दर का भुगतान करना होता है। बैंक द्वारा लगाए गए वास्तविक ब्याज और 4% के बीच के अंतर को केवीआईसी द्वारा "ब्याज सब्सिडी" के रूप में वहन किया जाता है।
3.	खादी कारीगरों के लिए वर्क-शेड स्कीम	• एकल वर्कशेड (20 वर्ग मीटर)= शौचालय सहित वर्कशेड की लागत का 75% (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 90%) अथवा 120000/-,(जो भी कम हो)। • समूह वर्कशेड (प्रति कारीगर 10 वर्ग मीटर): शौचालय सहित वर्कशेड की लागत का 7 5% (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 90%) अथवा 80,000 रु. (जो भी कम हो)।

4.	मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों का अवसंरचना सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता	• खादी संस्थान के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता की सीमा 15.00 लाख रु. (पूंजीगत व्यय+कार्यशील निधि)। • केवीआईसी/केवीआईबी के विभागीय बिक्री केंद्रों के जीर्णोद्धार तथा सांस्थानिक बिक्री के लिए विपणन अवसंरचना के अंतर्गत वित्तीय सहायता सीमा 25.00 लाख रु.
5.	अन्य घटक	• खादी उत्कृष्टता केन्द्र • खादी गुणवत्ता आश्वासन • विपणन (प्रदर्शनी) • विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी)

II. ग्रामोद्योग विकास योजना

क्र. सं.	घटक	सहायता
1.	आरोग्य और सौन्दर्य उद्योग (डब्ल्यूसीआई) के अंतर्गत अगरबत्ती कार्यक्रम	• अगरबत्ती उद्योग में प्रशिक्षण कार्यक्रम • प्रशिक्षित कारीगरों को पैडल से चलने वाली/स्व-चलित अगरबत्ती मशीनरी का वितरण।
2.	हस्तनिर्मित कागज चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग (एचएमपीएलपीआई) के अंतर्गत चमड़ा फुटवियर कार्य	• जूते की डिजाइनिंग और विनिर्माण संबंधी प्रशिक्षण। • प्रशिक्षित कारीगरों को मशीनरी और टूल किट का वितरण।
3.	खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई) के अंतर्गत पॉटरी कार्य	• व्हील पॉटरी संबंधी प्रशिक्षण • प्रशिक्षित कारीगरों को टूल और उपकरण (इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील, ब्लंगर) का वितरण।
4.	कृषि-आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई) के अंतर्गत मधुमक्खी पालन कार्य/शहद मिशन कार्यक्रम	• मधुमक्खी-पालन कौशल विकास प्रशिक्षण • प्रशिक्षित लाभार्थियों को जीवित मधुमक्खी कॉलोनियों वाले 10 बक्सों और एक टूलकिट सेट (एक चाकू, स्मोकर, छत्ता टूल और मधुमक्खी आवरण सहित) का वितरण।

5.	ग्रामीण इंजीनियरिंग और नई प्रौद्योगिकी के अंतर्गत खराब लकड़ी/बारी लकड़ी शिल्प/लकड़ी के खिलौने/पंचगव्य उत्पाद	• अपशिष्ट काष्ठ, टर्नवुड शिल्प, लकड़ी के खिलौने और पंचगव्य-आधारित उत्पाद में प्रशिक्षण। • सभी प्रशिक्षित कारीगरों को टूलकिट का वितरण
6.	हस्तनिर्मित काग़ज़, प्लास्टिक और चमड़ा उद्योग के अंतर्गत हस्तनिर्मित काग़ज़ और फाइबर संबंधी कार्य	• कागज रूपांतरण, पेपर प्लेट और दौना (कटोरी) निर्माण, पेपर मैश, फाइबर निष्कर्षण और फैंसी वस्तु निर्माण तथा बान निर्माण (दो प्लाई) • प्रशिक्षित कारीगरों को मशीनरी और टूलकिट का वितरण।
7.	कृषि-खाद्य आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	• पॉम गुड़, इमली, फल तथा सब्जियां, गांव में निर्मित तेल, मसाले और रुचिकर सामग्री, गन्ना और बांस, पॉपकॉर्न निर्माण। • प्रशिक्षित कारीगरों को मशीनरी और टूलकिट का वितरण।
8.	सेवा उद्योग	• इलेक्ट्रीशियन और प्लंबर और डिग्नीटी (साईकिल पर चाय वेंडिंग), एसी रिपेयरिंग और रखरखाव, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई मशीन ऑपरेटर को प्रशिक्षण। • प्रशिक्षित लाभार्थियों को टूलकिट का वितरण।

स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू है:

- केवीआईसी या विभिन्न राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) से पंजीकृत खादी संस्थाएं और खादी कारीगर।
- केवीआईसी, एनजीओ/केआई/वीआई/केवीआईबी/डीआईसी/एफपीओ आदि द्वारा चिह्नित किए जा सकने वाले लाभार्थी।
- आयु समूहः 18-55 वर्ष।
- सरकार द्वारा जारी वैध आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र।
- केजीवीवाई के अंतर्गत परिवार का एक सदस्य सहयता के लिए पात्र है।
- समान उद्देश्य के लिए अन्य सरकारी स्कीम से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति पात्र नहीं हैं।
- एससी/एसटी/महिला/बेरोजगार युवा/बीपीएल श्रेणी आदि से संबंधित व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन कैसे करें:

- http://www.kviconline.gov.in पर आवेदन करें।

"भारत के समग्र विकास से तात्पर्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गांव, कोई भी परिवार और कोई भी नागरिक पीछे न छूट जाए"

— *श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री*

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संगठन

उद्देश्यः

- स्कीम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की प्रौद्योगिकी, कौशल एवं गुणवत्ता, बाजार पहुँच में सुधार इत्यादि जैसे सामान्य मुद्दों आदि के समाधान के माध्यम से मुख्यतः उत्पादकता, निरंतरता, प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास को बढ़ाने के लिए अवसंरचना विकास के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों जैसे फल, मसाले, कृषि, वानिकी, रेशम कीट-पालन और बांस आदि के लिए विनिर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, आरएंडडी, उत्पाद और प्रक्रिया नवाचार और प्रशिक्षण की पूर्ति के लिए सामान्य सुविधाओं का निर्माण।
- एमएसएमई के लिए नए/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन/उन्नयन।
- होम स्टे के एक क्लस्टर में सामान्य सुविधाओं जैसे किचन, बेकरी, लॉन्ड्री और ड्राईक्लीन, रेफ्रीजरेशन और कोल्ड स्टोरेज, सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना, पेयजल, स्थानीय उत्पादों के लिए प्रदर्शन केंद्र, सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए केन्द्र आदि के निर्माण द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में पर्यटन क्षेत्र का विकास।

मुख्य लाभः

- औजारों सहित नए उत्पादों और प्रक्रियाओं को विकसित करने हेतु एमएसएमई के लिए सामान्य सुविधाएं।
- नई इकाइयों की स्थापना या उनकी इकाइयों के विस्तार हेतु उद्यमियों के लिए विकसित अवसंरचना।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सामान्य अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए सहायता।

सहायता की प्रकृतिः

- नए लघु प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना और मौजूदा केन्द्रों का आधुनिकीकरणः भारत सरकार की वित्तीय सहायता 90% होगी। भारत सरकार की सहायता की गणना हेतु अधिकतम परियोजना लागत 15.00 करोड़ रु. होगी। अवसंरचना के उन्नयन हेतु निर्माण लागत के लिए भारत

सरकार सहायता कुल अनुमत भारत सरकार सहायता के भीतर 1.00 करोड़ रु. तक सीमित होगी। भारत सरकार की वित्तीय सहायता जमीन की लागत के लिए स्वीकार्य नहीं होगी।

- नई और मौजूदा औद्योगिक संपदाओं का विकासः भारत सरकार की वित्तीय सहायता 90% होगी। नई औद्योगिक संपदा के विकास के लिए भारत सरकार सहायता की गणना हेतु अधिकतम परियोजना लागत 15.00 करोड़ रु. होगी जबकि मौजूदा औद्योगिक संपदा के विकास के लिए 10.00 करोड़ रु. होगी।
- पर्यटन क्षेत्र का विकासः भारत सरकार सहायता की गणना के लिए 5 करोड़ रु. की अधिकतम परियोजना लागत के साथ परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की वित्तीय सहायता 90% होगी। शेष परियोजना लागत (यदि हो) राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

पात्रता/अनुप्रयोज्यताः

- एमएसएमई के संवर्धन में संलग्न राज्य सरकार या कोई भी राज्य सरकार संगठन।

आवेदन कैसे करें:

- स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक राज्य सरकार प्रस्ताव तैयार करेगी और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रथमिकतः एमएसएमई के संवर्धन में संलग्न उद्योग और वाणिज्य विभाग या किसी राज्य सरकार संगठन की किसी एजेंसी को चिह्नित करेगी। फिर प्रस्ताव को अनुमोदन प्रक्रिया के लिए स्कीम पोर्टल **www.ner-promotion.msme.gov.in** पर अपलोड किया जाएगा।

संपर्कः

- विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एमएसएमई-विकास कार्यालय।

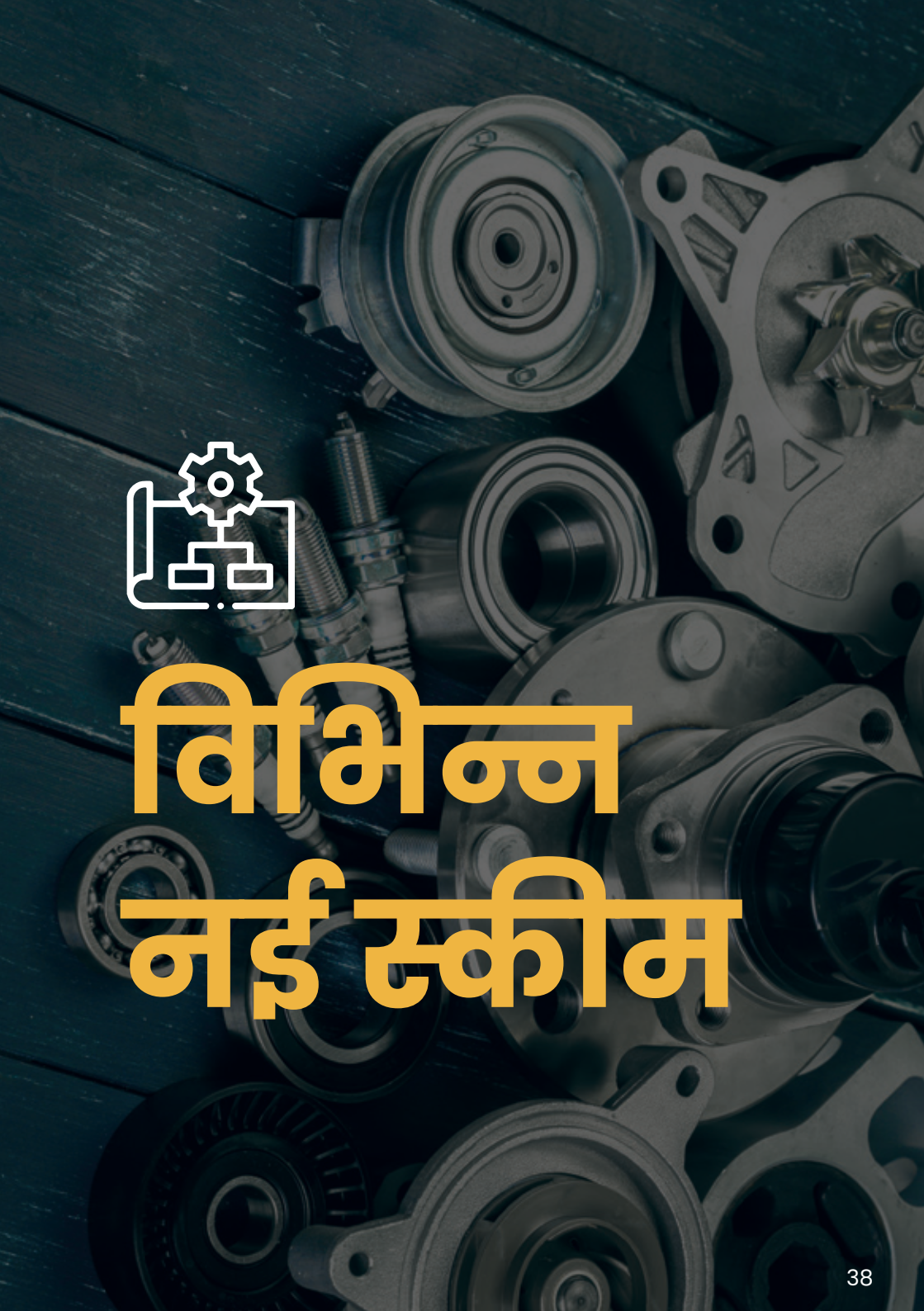

विभिन्न नई स्कीम

पी एम विश्वकर्मा - कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उद्यम बढ़ाने में सक्षम बनाना।

उद्देश्य:

- कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करना ताकि वे स्कीम के अंतर्गत सभी लाभ प्राप्त करने के पात्र बन सकें।
- उनके कौशल को निखारने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करना तथा उनके लिए प्रासंगिक एवं उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना।
- उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना।
- लाभार्थियों को समपार्श्विक-मुक्त ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करना तथा ब्याज छूट प्रदान करके ऋण की लागत को कम करना।
- विश्वकर्माओं के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल लेनदेन के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना।
- ब्रांड प्रमोशन और बाजार संपर्क के लिए मंच प्रदान करना ताकि उन्हें विकास के नए अवसरों तक पहुंचने में मदद मिल सके।

मुख्य लाभ:

- पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता।
- कौशल उन्नयन: 5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिन या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण, प्रतिदिन 500 रुपये का वजीफा और 1,000 रुपये का परिवहन भत्ता।
- टूलकिट प्रोत्साहन: ई-वाउचर के माध्यम से 15,000 रुपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन।
- ऋण सहायता: : 5% की नियत रियायती ब्याज दर पर क्रमशः 1 लाख रुपये और 2 लाख रुपये की दो किस्तों में 3 लाख रुपये तक का समपार्श्विक-मुक्त 'उद्यम विकास ऋण' (18 महीने और 30 महीने की अवधि के साथ) जिसमें भारत सरकार की ओर से 8% तक की छूट भी शामिल है।
- डिजिटल लेन-देन के लिए आर्थिक प्रोत्साहन: डिजिटल भुगतान या प्राप्ति के लिए लाभार्थी को प्रति पात्र डिजिटल लेन-देन पर 1 रुपए की राशि, मासिक आधार पर अधिकतम 100 पात्र लेन-देन तक प्रदान की जाएगी।

- विपणन सहायता: गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (Government e market Place) जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर उपस्थिति, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन कार्यों के रूप में विपणन सहायता ताकि मूल्य श्रृंखला से जुड़ाव में सुधार हो सके।

कौन-कौन आवेदन कर सकता है:

- इस योजना में 18 व्यवसायों (ट्रेड) में संलग्न कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है अर्थात (i) कारपेंटर (बढ़ई /सुथार) (ii) नाव निर्माता (iii) अस्त्रकार (iv) धातु- शिल्पी (v) हथौड़ा और टूलकिट निर्माता (vi) ताला बनानेवाला (vii) गोल्डस्मिथ (सुनार) (viii) पॉटर (कुम्हार) (ix) स्कल्पटर (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला (x) मोची (चर्मकार)/जूता बनाने वाला / फुटवियर कारीगर (xi) मेसन (राजमिस्त्री) (xii) टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला / कॅयर बुनकर (xiii) गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक) (xiv) बार्बर (नाई) (xv) गारलेंड मेकर (मालाकार) (xvi) वाशरमैन (धोबी) (xvii) टेलर (दर्जी) (xviii) फिशिंग नेट निर्माता व्यापारों में कार्यरत कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है।

आवेदन कैसे करें:

- ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए कृपया निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) से संपर्क करें।

विस्तृत जानकारी:

- विस्तृत सूचना के लिए कृपया देखें **https://pmvishwakarma.gov.in/**

"पीएम विश्वकर्मा से न केवल देशभर के कारीगरों और शिल्पकारों का हुनर बढ़ेगा बल्कि उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को भी दुनिया में नई पहचान मिलेगी।"

— *श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री*

टूल रूम और तकनीकी संस्थान

उद्देश्य:

- टूल रूम और तकनीकी संस्थान एमएसएमई की सहायता के लिए उद्योगों के संगत क्षेत्र के एकीकृत विकास पर केंद्रित हैं। पूरे भारत में स्थापित कुल 18 एमएसएमई टूल रूम और तकनीकी संस्थाएं सामान्य अभियांत्रिकी, फ़ाउन्ड्री और फोर्जिंग, इलेक्ट्रॉनिकी, सुगंध, कांच, खेल के सामान और पादुका आदि जैसे प्रासंगिक क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं।

मुख्य लाभ:

- एमएसएमई के लिए टूलिंग सुविधा की उपलब्धता को बेहतर बनाना ताकि उनकी क्षमता बढे और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उद्योग को कुशल जनशक्ति प्रदान करना।
- प्रासंगिक क्षेत्र में प्रक्रिया और उत्पाद विकास।
- प्रासंगिक क्षेत्र में परामर्श और जॉब कार्य।

कौन आवेदन कर सकता है:

- औद्योगिक इकाइयां (एमएसएमई क्षेत्र पर फ़ोकस करने वाले)।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रवेश पात्रता स्कूल छोड़ने वालों से लेकर एम.टेक. स्तर तक।

विस्तृत जानकारी:

- टूल रूम और तकनीकी संस्थान स्कीम के अंतर्गत, एमएसएमई मंत्रालय ने वर्ष 1967 से 1999 तक 18 टूल रूम और तकनीकी संस्थान स्थापित किए हैं, जो सामान्य अभियांत्रिकी, स्वचालन, हाथ के औजार, प्लास्टिक, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, फोर्जिंग और फाउंड्री, खेल के सामान, चमड़ा और पादुका, सुगंध और स्वाद आदि जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के आधार पर कार्य करते हैं, ताकि उपकरणों, डाई, मोल्ड्स, जिग्स और फिक्सचर आदि का डिजाइन, विकास और विनिर्माण के लिए उद्योगों को सहायता दी जा सके।

- मंत्रालय वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट, रोबोटिक्स और प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए 3डी प्रिंटिंग, सीएडी/सीएएम, सीएनसी मशीनिंग आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों को शुरू करके टूलरूम और प्रशिक्षण संस्थान को उन्नत करने के लिए समय-समय पर निवेश कर रहा है।
- कुछ प्रशिक्षण संस्थान जटिल उपकरणों, पुर्जों और घटकों के लिए एमएसएमई को सहायता प्रदान कर रहे हैं और रक्षा, एयरोस्पेस आदि जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान कर रहे हैं।
- तकनीकी विकास गतिविधियों के अलावा, टीसी युवाओं को उद्योग के लिए तैयार जनशक्ति के लिए कौशल प्रदान करते हैं और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार उद्योग कार्यबल को फिर से कुशल बनाते हैं। टीसी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिनमें एनएसक्यूएफ अनुपालन पाठ्यक्रम, एआईसीटीई/ एनसीवीईटी/ एससीवीटी अनुमोदित पाठ्यक्रम और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल हैं। कुछ टीसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, ये प्रशिक्षण केंद्र पुर्जों और घटकों की डिजाइन, सामग्री परीक्षण, तापशोधन (हीट ट्रीटमेंट), गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पाद एवं प्रक्रिया सुधार से संबंधित तकनीकी परामर्श जैसी तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
- सभी टूल रूम और प्रशिक्षण संस्थान समग्र गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) के सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं। वे आईएसओ 9001-2015 प्रमाणित संस्थान हैं और उनमें से कुछ आईएसओ-14000, ओएचएसएएस-18000, आईएसओ-29990 और आईएसओ-50001 प्रमाणित हैं। सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर भी एयरो-स्पेस कंपोनेंट की आपूर्ति के लिए एएस-9100 प्रमाणित है।

आवेदन कैसे करें:

- https://www.dcmsme.gov.in/CLCS_-TUS_Scheme/Tool_Roo m_Tech_Institutions/Scheme_Guidelines.aspx अथवा अलग-अलग संबंधित टूल रूम और प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं।

एमएसएमई चैंपियंस स्कीम

स्कीम के बारे में:

एमएसएमई चैंपियंस स्कीम विभिन्न स्कीमों और अंतःक्षेपों को एकीकृत, समन्वित और अभिसरण करने का एक समग्र दृष्टिकोण है। इसका मूल उद्देश्य क्लस्टर और उद्यमों को चुनना और उनकी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, अपशिष्ट को कम करना, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को तेज करना और उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक पहुंच और उत्कृष्टता को सुविधाजनक बनाना है। नई एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के अंतर्गत 3 घटक हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

1) एमएसएमई-सस्टेनेबल (जेड)
2) एमएसएमई नवाचार (इंक्यूबेशन, आईपीआर, डिजाइन)
3) एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन)
4) डिजिटल एमएसएमई ***(दिशा-निर्देश स्वीकृत किए जा चुके हैं)***

(डिजिटल एमएसएमई को एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के अन्य सभी घटकों के साथ जोड़ा जाएगा।)

1) - एमएसएमई सस्टेनेबल (जेड) प्रमाणन

उद्देश्य:

जेड प्रमाणन का उद्देश्य एमएसएमई के बीच जीरो डिफ़ेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) पद्धतियों को बढ़ावा देना है ताकि:

- नवीनतम प्रौद्योगिकी, उपकरणों का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के विनिर्माण के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित किया जा सके और सक्षम बनाया जा सके तथा पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव के साथ उच्च गुणवत्ता और उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को निरंतर उन्नत किया जा सके।
- प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और निर्यात सक्षम बनाने के लिए एमएसएमई में जेड विनिर्माण के लिए पारितंत्र विकसित किया जा सके।

- जेड पद्धतियों को अपनाए जाने को बढ़ावा दिया जा सके और सफल एमएसएमई के प्रयासों को मान्यता दी जा सके।
- एमएसएमई को श्रेणीबद्ध प्रोत्साहनों के माध्यम से उच्च जेड प्रमाणन स्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- एमएसएमई को श्रेणीबद्ध प्रोत्साहनों के माध्यम से उच्च जेड प्रमाणन स्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- सुधार हेतु क्षेत्रों की पहचान करना, जिससे सरकार को नीतिगत निर्णय लेने और निवेश प्राथमिकता निर्धारण में सहायता मिल सके।

मुख्य लाभ:

- **प्रमाणन लागत**
  - प्रमाणन स्तर 1: कांस्य: 8,000/- रूपए
  - प्रमाणन स्तर 2: रजत: 32,000/- रूपए
  - प्रमाणन स्तर 3: स्वर्ण: 72,000/- रूपए
- **जेड प्रमाणन की लागत पर सब्सिडी:**
  - 10,000/- रु. का ज़्वाइनिंग पुरस्कार (कांस्य निःशुल्क होगा, यदि प्राप्त किया हो)
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए क्रमशः 80%, 60% और 50%
  - महिला-स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए 100% सब्सिडी।
- **अतिरिक्त सब्सिडी:**
  - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसएमई या पूर्वोत्तर/हिमालयी/वामपंथी उग्रवाद ग्रस्त/द्वीपीय क्षेत्रों/आकांक्षी जिलों के एमएसएमई के लिए 10%।
  - उन एमएसएमई के लिए 5% जो मंत्रालय के स्फूर्ति या सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का भी हिस्सा हैं।
- **परीक्षण/गुणवत्ता/उत्पाद प्रमाणन में वित्तीय सहायता**
  - बहुविध परीक्षण/प्रमाणन की कुल लागत का 75% तक, सब्सिडी की अधिकतम सीमा 50,000/- रूपये होगी।

- **प्रारंभिक सहायता:**
  - सभी जेड प्रमाणित एमएसएमई के लिए परामर्श हेतु 2 लाख रुपये तक।
- **परीक्षण/गुणवत्ता/उत्पाद प्रमाणन में वित्तीय सहायता:**
  - सभी जेड प्रमाणित एमएसएमई के लिए 3 लाख रुपये तक।
- **श्रेणीबद्ध प्रोत्साहन:**
  - एमएसएमई तीन जेड प्रमाणन स्तरों के लिए निर्धारित श्रेणीबद्ध प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं। जहाँ भी संभव हो, राज्यों द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों को एपीआई एकीकरण के माध्यम से जेड पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा ताकि अंतर-प्रचालनीयता सुनिश्चित की जा सके।

स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू है:

- उद्यम पंजीकरण पोर्टल (एमएसएमई मंत्रालय) पर पंजीकृत सभी एमएसएमई एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन में भाग लेने और संबंधित लाभ/आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

विस्तृत सूचना:

- एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन एमएसएमई के बीच जीरो डिफ़ेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) पद्धतियों के बारे में जागरूकता सृजित करने तथा उन्हें जेड प्रमाणन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उन्हें एमएसएमई चैंपियन बनने के लिए प्रोत्साहित करने का एक व्यापक अभियान है। जेड प्रमाणन माध्यम से, एमएसएमई अपशिष्ट को काफी हद तक कम कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण जागरूकता बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा बचा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का ईष्टतम उपयोग कर सकते हैं, अपने बाजारों का विस्तार कर सकते हैं, आदि। एमएसएमई को अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए कार्य संस्कृति, उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों आदि के मानकीकरण में सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। जेड प्रमाणन का उद्देश्य केवल प्रमाणन करना नहीं, बल्कि मूल्यांकन, मार्गदर्शन, पथ-प्रदर्शन सहायता, प्रबंधकीय और तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से आशोधन द्वारा एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

आवेदन कैसे करें:

- पात्र एमएसएमई ऑनलाइन पोर्टल **www.zed.msme.gov.in** के माध्यम से आवेदन करेंगे।

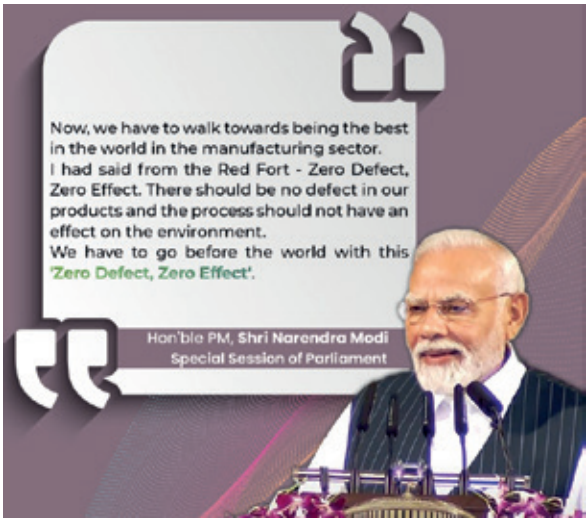

2) एमएसएमई – नवप्रवर्तन (इनक्यूबेशन, आईपीआर और डिजाइन)

उद्देश्य:

- इनक्यूबेशन और डिजाइन इंटरवेंशन के माध्यम से विचारों को नवप्रवर्तनशील अनुप्रयोगों में विकसित करने से लेकर संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सभी प्रकार के नवाचारों का संवर्धन करना।
- एमएसएमई क्षेत्र के बाज़ार, डिजाइन प्रतिस्पर्धात्मकता और बौद्धिक सर्जनाओं के संरक्षण और व्यवसायीकरण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त सुविधाएं और सहायता प्रदान करना।
- उद्योग, शिक्षा, सरकारी संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं आदि के बीच ज्ञान साझाकरण और सहयोग के माध्यम से नवप्रवर्तन और रचनात्मक समस्या समाधानों की संस्कृति का संवर्धन करना।
- नए उत्पाद विकास और पथप्रदर्शन सहायता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक/शिक्षा जगत की अग्रणी संस्थाओं/हस्तियों और नवप्रवर्तको के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
- ऐसे किफायती नवप्रवर्तनों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना, जो अधिक संख्या में लोगों को लाभान्वित कर सकें और साथ ही व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और स्थाई हों।

मुख्य लाभ:

- **इंक्यूबेशन**
  - एमएसएमई में अप्रयुक्त रचनात्मकता और नवीनतम प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण को बढ़ावा देना और सहायता प्रदान करना, जो अवधारणा के स्तर पर अपने विचारों के सत्यापन चाहते हों।
  - ऐसे सक्षमकर्ताओं के साथ सहभागिता का समर्थन करता है जो ऐसे एमएसएमई को डिजाइन, रणनीति और कार्यान्वयन में सहायता देकर व्यवसाय का विस्तार करने में सलाह देंगे।
  - विचारों के विकास और पोषण के लिए एचआई को वित्तीय सहायता - एचआई को प्रति विचार अधिकतम 15 लाख रुपये तक प्रदान किए जाएंगे।
- **डिजाइन**
  - डिजाइन परियोजना: किसी भी एमएसएमई के लिए अनुमोदित डिजाइन परियोजनाओं के लिए, कुल परियोजना लागत का 75% (सूक्ष्म) और 60% (लघु और मध्यम) भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा जो अधिकतम 40 लाख रुपये होगा और शेष परियोजना लागत

एमएसएमई द्वारा वहन की जाएगी और आईए में जमा की जाएगी।

- विद्यार्थी परियोजना: कुल परियोजना लागत का 75% (अधिकतम 2.5 लाख रुपये) भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा।

- **आईपीआर**
  - आईपीएफसी को माइलस्टोन-आधारित (तीन या अधिक) किस्तों में 1 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  - पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत (जी.आई.), डिजाइन के पंजीकरण के लिए प्रतिपूर्ति: आईपीआर घटक के अंतर्गत पात्र आवेदकों को अधिकतम वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मद	अधिकतम वित्तीय सहायता
i.	विदेशी पेटेंट	5.00 लाख रु.
ii.	घरेलू पेटेंट	1.00 लाख रु.
iii.	जीआई पंजीकरण	2.00 लाख रु.
iv.	डिजाइन पंजीकरण	0.15 लाख रु.
v.	ट्रेडमार्क	0.10 लाख रु.

स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू है:

- इनक्यूबेशन: एमएसएमई, व्यक्ति, विद्यार्थी जो अपने नवप्रवर्तनशील विचारों को विकसित करना चाहते हैं, पंजीकृत मेजबान संस्थाओं के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- डिजाइन: लाभार्थी इकाइयों को एमएसएमईडी अधिनियम की परिभाषा के अनुसार आम तौर पर एक पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम होना चाहिए और उनके पास वैध यूएएम अथवा उद्यम पंजीकरण होना चाहिए।
- आईपीआर: उद्यम पंजीकरण वाले एमएसएमई के लिए।

आईपी के वाणिज्यीकरण के लिए एमएसएमई सहायता (एससीआईपी) कार्यक्रम

एमएसएमई मंत्रालय ने आईपी सृजन और वाणिज्यीकरण के अंतर को दूर करने के लिए एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम के आईपीआर घटक के अंतर्गत आईपी कार्यक्रम के वाणिज्यीकरण के लिए एमएसएमई सहायता (एससीआईपी) कार्यक्रम की शुरूआत की है।

स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

- प्रौद्योगिकी अंतरण सुविधा केंद्र (टीटीएफसी) की स्थापना के लिए: प्रत्येक अनुमोदित इकाई हेतु टीटीएफसी की स्थापना के लिए प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये तक का अनुदान लक्ष्य प्राप्ति आधारित किस्त में प्रदान किया जाएगा, तथापि, अगली किस्त एक वर्ष के भीतर स्वीकृत की जा सकती है यदि पिछली किस्त का उपयोग लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ संतोषजनक ढंग से किया गया हो।
- पंजीकृत एमएसएमई के लिए आईपी एक्सेस या अधिप्राप्ति शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमाएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं	घटक	उप-घटक	अधिकतम प्रतिपूर्ति (लाख रुपये में) *(कुल वास्तविक लागत का 70% या प्रतिपूर्ति सीमा या जो भी कम हो)*
i.	आईपी एक्सेस शुल्क	भारतीय पेटेंट	10.00
ii.		विदेशी पेटेंट	15.00
iii.		कॉपीराइट या ट्रेडमार्क	2.00
iv.		जैव सामग्री या मूर्त (टैंजिबल अनुसंधान परिसंपत्ति)	10.00
v.		डेटासेट	3.5
vi.		तकनीकी जानकारी या व्यापार गोपनीयता	10.00
vii.	विदेशी टीएम और डिजाइन का पंजीकरण	विदेशी ट्रेडमार्क	1.5
viii.		विदेशी डिजाइन	1.5

पात्रता:

- एमएसएमई के पास स्कीम के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ वैध एमएसएमई उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए।

कैसे आवेदन करें:

- आवेदक अपने प्रतिपूर्ति आवेदन निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल **www.innovative.msme.gov.in** के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

विस्तृत सूचना:

- एमएसएमई नवप्रवर्तन एक समग्र दृष्टिकोण है जो एक ही उद्देश्य के साथ 3 उप-स्कीम और क्रियाकलापों को एकीकृत, समन्वित और अभिसरित करता है। एमएसएमई नवप्रवर्तन एमएसएमई के लिए एक नई अवधारणा है जिसमें इनक्यूबेशन, डिज़ाइन अंतःक्षेप में नवप्रवर्तन और एकल मोड दृष्टिकोण में आईपीआर की सुरक्षा के संयोजन के साथ एमएसएमई के बीच भारत के नवाचार के बारे में जागरूकता सृजित करना और उन्हें एमएसएमई चैंपियन बनने के लिए प्रेरित करना है। यह नवप्रवर्तन कार्यों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा जो विचारों के विकास को अर्थक्षम व्यवसाय प्रस्ताव में सुगम और निर्देशित करेगा जो समाज को सीधे लाभ पहुंचा सके और इसका सफलतापूर्वक विपणन किया जा सके।

आवेदन कैसे करें:

- पात्र आवेदक एमआईएस पोर्टल **(https://innovative.msme.gov.in)** पर आवेदन कर सकते हैं।

3) एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक (लीन) स्कीम

उद्देश्य:

- इस स्कीम का उद्देश्य विभिन्न लीन तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से एमएसएमई की घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **कमी लाना:**
    - अस्वीकरण दरों में
    - उत्पाद और कच्चे माल की आवाजाही में
    - उत्पाद लागत में
  - **ईष्टतम उपयोग करना:**
    - स्थान का
    - जल, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधनों आदि जैसे संसाधनों का
  - **वृद्धि करना:**
    - उत्पादों और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में
    - उत्पादन और निर्यात क्षमताओं में
    - कार्यस्थल की सुरक्षा में
    - ज्ञान और कौशल स्तर में
    - नवाचारी (इनोवेशन) कार्य संस्कृति में
    - सामाजिक और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व में
    - लाभप्रदता में
    - इंडस्ट्री 4.0 की जानकारी और जागरूकता में
    - डिजिटल सशक्तिकरण में

मुख्य लाभ:

- **कार्यान्वयन लागत (प्रति इकाई अधिकतम)**
  - बुनियादी स्तर: निःशुल्क
  - माध्यमिक स्तर: ₹1,20,000 + कर (टैक्स)
  - उन्नत स्तर: ₹2,40,000 + कर (टैक्स)

- **लाभार्थी योगदान:**
  - बुनियादी: लागू नहीं
  - माध्यमिक स्तर: कार्यान्वयन की कुल लागत का 10%, अर्थात ₹12,000 तक + कर (टैक्स) प्रति इकाई (अधिकतम)
  - उन्नत स्तर: कार्यान्वयन की कुल लागत का 10%, अर्थात ₹24,000 तक + कर (टैक्स) प्रति इकाई (अधिकतम)
- **भारत सरकार का योगदान:**
  - बुनियादी: लागू नहीं
  - माध्यमिक स्तर: एमएसएमई इकाई कार्यान्वयन लागत के लिए ₹108000/- रुपये (अधिकतम) तक की हकदार होगी (कर अलग से)
  - उन्नत स्तर: एमएसएमई इकाई कार्यान्वयन लागत के लिए ₹2,16,000/- रुपये (अधिकतम) तक की हकदार होगी (कर अलग से)
- **अतिरिक्त लाभ:**
  - बुनियादी: लागू नहीं
  - माध्यमिक और उन्नत स्तर:
    - स्फूर्ति क्लस्टर, महिला एसटी/एससी स्वामित्व वाली और पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एमएसएमई के लिए 5% अतिरिक्त योगदानओईएम/उद्योग संघ मार्ग
      - सभी स्तरों को पूरा करने के बाद उद्योग संघ/ओईएम के माध्यम से पंजीकरण कराने वाले एमएसएमई को भारत सरकार से 5% का अतिरिक्त अंशदान दिया जाएगा।
      - लीन इंटरवेंशन के सभी चरणों को पूरा करने के बाद ओईएम/एसोसिएशन को प्रति एमएसएमई 5000 रुपये दिए जाएंगे।
      - इस लाभ को प्राप्त करने के लिए एमएसएमई इकाई को आवेदन करते समय यह उल्लेख करना होगा – "मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के अंतर्गत आवेदन" या "उद्योग संघ (आईए) के अंतर्गत आवेदन"

यह स्कीम किनके लिए है:

- मान्य उद्यम पंजीकरण वाले सभी एमएसएमई, एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक (लीन) स्कीम में भाग लेने और संबंधित लाभ/प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

- यह स्कीम स्फूर्ति (परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम) और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) के लिए भी खुली है।

विस्तृत जानकारी:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार का लक्ष्य एमएसएमई के लिए एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक (लीन) स्कीम का कार्यान्वयन करना है, जिसका उद्देश्य प्रक्रियाओं, इन्वेंट्री प्रबंधन, स्थान प्रबंधन, ऊर्जा खपत आदि में अपशिष्ट को कम करके उनकी उत्पादकता, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

आवेदन कैसे करें :

- पात्र एमएसएमई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं **https://lean.msme.gov.in/**

एसआरआई कोष
आत्मनिर्भर भारत हेतु एमएसएमई का सशक्तिकरण

स्कीम के बारे में:

- भारत ने आर्थिक महाशक्ति बनने की अपनी आकांक्षा को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर आर्थिक वृद्धि के मार्ग पर कदम बढ़ाया है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा की गई पहलों में से एक है- एसआरआई कोष की शुरुआत।
- कोष की संरचना इस प्रकार की गई है कि यह निश्चित विकास योजना वाले अर्थक्षम एमएसएमई को विकास पूंजी उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्र की ताकत का लाभ उठाएगा।

कोष के उद्देश्य

इस कोष का उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इक्विटी, अर्ध-इक्विटी और ऋण के माध्यम से एमएसएमई को विकास पूंजी के रूप में आगे के प्रावधान के लिए डॉटर निधि के लिए पूंजी सहायता प्रदान करना है:

- एमएसएमई व्यवसायों के तेजी से विकास के लिए सहायता प्रदान करना, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आए और रोजगार के विभिन्न अवसर उत्पन्न हों।
- उन उद्यमों को सहायता प्रदान करना जिनमें एमएसएमई सीमा से आगे बढ़ने तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने की क्षमता है।
- एमएसएमई को सहायता देना ताकि प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

एसआरआई कोष संरचना:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) के माध्यम से एक एआईएफ की स्थापना की है, जिसे एसआरआई कोष नाम दिया गया है, जिसमें इक्विटी/अर्ध-इक्विटी/इक्विटी जैसे संरचित उपकरणों के माध्यम से एमएसएमई को विकास पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मदर फंड-डॉटर फंड संरचना है।

- इससे एमएसएमई को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने तथा एमएसएमई की सीमा से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- एआईएफ का संचालन एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) द्वारा किया जाएगा, जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एनएसआईसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) के अंतर्गत भारत सरकार का एक मिनी रत्न निगम है।

एसआरआई कोष की h:

विवरण	ब्यौरा
लक्ष्य समूह	सकारात्मक विकास पथ के साथ अर्थक्षम एमएसएमई
कुल कोष	एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार का योगदान 10,000 करोड़ रुपये
निधि की अवधि	निधि का जीवन काल 15 वर्ष है
कार्य क्षेत्र	देश भर में एमएसएमई को संवितरण से जीवन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है।
निधि का प्रकार	डॉटर फंड को सेबी के साथ पंजीकृत एआईएफ I या II श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है
अपवाद	गैर-लाभकारी संस्थान, एनबीएफसी, वित्तीय समावेशन क्षेत्र, एसएचजी और अन्य वित्तीय मध्यस्थ।

पूरी जानकारी के लिए www.nvcfl.co.in पर जाएं

एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैंप)

पृष्ठभूमि

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं। इस क्षेत्र में 6.3 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमई शामिल हैं और यह जीडीपी, विनिर्माण उत्पादन, निर्यात और रोज़गार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को गति देने और रोज़गार के बड़े अवसर उत्पन्न करने की अपार संभावनाएँ हैं। चूंकि महामारी के कारण इस क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इसलिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से दिनांक 30 जून 2022 को एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम "एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन" (रैंप) की शुरूआत की।

स्कीम के विषय में:

- रैंप कार्यक्रम का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाना, ऋण तक पहुंच बढ़ाना, संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र-राज्य तालमेल को बढ़ाना, विलंबित भुगतानों के मुद्दे का समाधान करना और एमएसएमई को पर्यावरण अनुकूल बनाना है। रैंप को परिणामोंन्मुख (आर के लिए पी अर्थात परिणाम के लिए कार्यक्रम) साधन बनाने के लिए विश्व बैंक कार्यक्रम के अनुसार डिज़ाइन किया गया है।
  कार्यक्रम के दो (2) परिणाम क्षेत्र हैं, अर्थात:-

  परिणाम क्षेत्र#1: एमएसएमई कार्यक्रम के संस्थानों और प्रशासन को मजबूत बनाना,
  परिणाम क्षेत्र#2: बाजार पहुंच, फर्म क्षमताओं और वित्त तक पहुंच के लिए सहायता।
  प्रमुख परिणाम क्षेत्रों के सापेक्ष संवितरण से जुड़े संकेतक (डीएलआई) निम्नानुसार हैं:
- एमएसई की भुगतान में विलंब के मामलों को कम करना।
- सीजीटीएमएसई की प्रभावशीलता को बढ़ाना और पर्यावरण अनुकूलता तथा लिंगभेद रहित डिलीवरी।
- एमएसएमई के लिए प्राप्य वित्त पोषण बाजार को सुदृढ़ बनाना
- राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद, डिजिटल पोर्टल, नीति और एमएंडई कार्यों के माध्यम से राष्ट्रीय एमएसएमई सुधार एजेंडा को लागू करना।

- एमएसएमई क्षेत्र में केन्द्र-राज्य सहयोग में तेजी लाना।
- एमएसएमई चैंपियंस स्कीम की प्रभावशीलता बढ़ाना।

रैंप कार्यक्रम के मुख्य घटक:

- **केंद्र-राज्य सहयोग:** रैंप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों नेएमएसएमई मंत्रालय के साथ वचन पत्र (एलओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। भाग लेने वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने कार्यनीतिक निवेश स्कीम तैयार की है जो संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में एमएसएमई के विकास के लिए एक मार्गदर्शक है और जिसके लिए मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

  एमएसएमई विस्तृत जानकारी के लिए राज्य सरकार के उद्योग/एमएसएमई विभागों से संपर्क कर सकते हैं।

- **प्रतिष्ठान स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा स्कीमों का सुदृढ़ीकरण:**
  रैंप कार्यक्रम का उद्देश्य मंत्रालय की निम्नलिखित मौजूदा पहलों को मजबूत करके अलग-अलग एमएसएमई को सहायता प्रदान करना है:
  - **एमएसएमई चैंपियंस स्कीम:** जेड, लीन और नवाचार (इनक्यूबेशन, आईपीआर, डिजाइन)
  - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी)
  - प्रापण और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम

- **रैंप कार्यक्रम के अंतर्गत नई स्कीमों का शुभारंभ:**
  रैंप कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से उद्यमों को पर्यावरण अनुकूल बनाने, बाजार तक पहुंच में सुधार लाने और एमएसएमई को विलंबित भुगतान के मुद्दे को हल करने से संबंधित पहलों को बढ़ाने के लिए चार नई उप स्कीम का शुभारंभ किया गया है। विवरण निम्नानुसार है:

(क) परिवर्तन के लिए हरित निवेश और वित्तपोषण स्कीम (एमएसई गिफ्ट स्कीम)

उद्देश्य:

- सतत एवं पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं एवं प्रौद्योगिकियों तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने को बढ़ावा देना।
- हरित प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को अपनाने में निवेश के लिए एमएसएमई को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करना।

- साझाकरण को बढ़ावा देना तथा हरित प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को अपनाने के लाभों को बढ़ावा देना।

घटक:

- **ब्याज अनुदान (350 करोड़ रु.):** सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए 2 करोड़ रुपये की सावधि ऋण सीमा तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान।
- **जोखिम साझाकरण निधि (125 करोड़ रुपये):** इस घटक के अंतर्गत एमएसई को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण शामिल किए जाएंगे। भाग लेने वाले एमएलआई को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए 125 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा (पात्र ऋणों के लिए गारंटीकृत कवरेज का 75%)।
- **अपेक्षित प्रभाव -** 5800 एमएसई
- **वेबसाइट यूआरएल:** green.msme.gov.in

(ख)) चक्रीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश संबंधी स्कीम (एमएसई स्पाइस स्कीम)

उद्देश्य:

- चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को चक्रीय अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित जी-20 लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान हो सके।
- एमएसई को उद्योगों के लिए निर्धारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) और अपशिष्ट पुनर्चक्रण लक्ष्यों का अनुपालन करने में सक्षम बनाना।
- एमएसई के बीच चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता को अपनाने के लिए जागरूकता फैलाना
- **बजट:** 472.50 करोड़ रु.

घटक:

- ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी (450 करोड़ रुपये): (संयंत्र और मशीनरी के लिए 25% सब्सिडी, अधिकतम 12.5 लाख रुपये)
- जागरूकता सृजन और मांग सृजन (15 करोड़ रु.)
- **अपेक्षित प्रभाव -** 3400 सूक्ष्म और लघु उद्यम
- **वेबसाइट यूआरएल:** green.msme.gov

(ग)) व्यापार सक्षमता और विपणन (टीम) पहल

उद्देश्य:

- एमएसई को ओएनडीसी के साथ एकीकृत करके उन्हें विभिन्न बाजारों तक पहुंचने में सहायता प्रदान करना।

घटक:

- जागरूकता सृजन कार्यशाला
- कैटलॉग विकास और ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल करना
- खाता प्रबंधन सहायता
- परिवहन और संभार-तंत्र के लिए सब्सिडी
- पैकेजिंग के लिए सब्सिडी (पैकेजिंग डिजाइन सहित)
- अपेक्षित प्रभाव – 5 लाख एमएसई (50% एमएसई महिलाओं के स्वामित्व में होंगे)
- **वेबसाइट यूआरएल:** team.msme.gov.in

(घ) विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान संबंधी एमएसई स्कीम (एमएसई ओडीआर स्कीम)

उद्देश्य:

- विवाद समाधान प्रक्रिया को कम विरोधाभासी बनाने के लिए बातचीत और मध्यस्थता को बढ़ावा देना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भारतीय भाषा में न्याय सुलभ कराना तथा देश के किसी भी कोने से घर बैठे, न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना।
- बजट: 189 करोड़ रु.

घटक:

- एमएसएमई ओडीआर पोर्टल का विकास, प्रचालन और रखरखाव
- ऑनलाइन विवाद समाधान कार्यान्वयन के लिए एमएसईएफसी को सहायता
- एमएसई को उनकी प्रशासनिक और दस्तावेज़ीकरण लागतों को शामिल करके वित्तीय सहायता प्रदान करना

महत्वपूर्ण दूरभाष संख्या

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और इसके सांविधिक निकायों के कार्यालयों के संपर्क पते

क्र. सं.	संगठन का नाम और पता	वेबसाइट	ई-मेल	दूरभाष	फैक्स
1	सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कॉमन केंद्रीय सचिवालय, द्वितीय तल बिल्डिंग-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली	www.msme.gov.in	min-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061726 23061068
2	विकास आयुक्त का कार्यालय एमएसएमई, कॉमन केंद्रीय सचिवालय, द्वितीय तल बिल्डिंग-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली	www.dcmsme.gov.in; www.laghu-udyog.com; www.smallindustry.com	dc-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061726 23061068
3	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), "ग्रामोदय" 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400056, महाराष्ट्र	www.kvic.org.in	kvichq@bom3.vsnl.net.in, ditkvic@bom3.vsnl.net.in, dit@kvic.gov.in	022-26714320-25/ 26716323/ 26712324/ 26713527-9/ 26711073/ 26713675	022-26711003
4	कयर बोर्ड, "कयर हाउस", एम.जी. रोड, एर्नाकुलम, कोच्चि-682016, केरल	www.coirboard.gov.in	info@coirboard.org coirboard@nic.in	0484-2351900 2351807, 2351788, 2351954, टोल फ्री 1-800-4259091	0484-2370034 2354397
5	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली 110020	www.nsic.co.in	info@nsic.co.in,	011-26926275 26910910 26926370 टोल फ्री 1-800-111955	011-26932075 26311109
6	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, (निम्समे) युसूफगौडा, हैदराबाद- 500 045	www.nimsme.org	registrar@nimsme.org	040-23608544-46 23608316-19	040-23608547 23608956 23541260
7	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, मगनवाड़ी, वर्धा-442001	www.mgiri.org	director.mgiri@gmail.com	0752-253512	0752-240328

एमएसएमई - विकास सुविधा केन्द्रों और शाखा एमएसएमई - विकास सुविधा केन्द्रों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	संस्थान का नाम	स्थान	पता	दूरभाष संख्या	फैक्स सं.	ई-मेल आईडी
1	अंडमान और निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	पोर्ट ब्लेयर	डॉलीगंज इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पो.ऑ. जंगली घाट, पोर्ट ब्लेयर-744103	03192-252308		brdcdi-pprt@dcmsme.gov.in
2	आंध्र प्रदेश	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	विशाखापटनम	एफ-19-22, ब्लॉक डी आईडीए, ऑटोनगर, विशाखापटनम -530012	0891-2517942 /2701061	0891-2517942	dcdi-vish@dcmsme.gov.in
3	तेलंगाना	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	हैदराबाद	नरसापुर क्रॉस रोड, बाला नगर, हैदराबाद-500 037	040-23078857	040-23078857	dcdi-hyd@dcmsme.gov.in
4	अरुणाचल प्रदेश	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	ईटानगर	एपीआईडीएफसी बिल्डिंग, 'सी' सेक्टर, ईटानगर -791111	0360-2291176	0360-2291176	brmsme.itan@gmail.com
5	असम	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	गुवाहाटी	इंडस्ट्रियल एस्टेट, एम.आर.डी. रोड, पो.ऑ. बामुनी-मैदाम , गुवाहाटी-781021	0361-2970591	0361-2550298	dcdi-guwahati@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	सिलचर	लिंक रोड प्वाइंट, एन.एस. एवेन्यू, सिलचर-788006	03842-241649	03842-241649	brdcdi-silc@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	दिफू (कर्बी एन्गलोंग)	सिविल हस्पताल के पीछे, नेहरु युवा केंद्र के पास, दिफू-782460	03761-272549	03671-272549	Brdcdi-diph@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास संस्थान	तेजपुर	दरांग कालेज रोड, तेजपुर-784001	03712-221084	03712-221084	brdcdi-tezp@dcmsme.gov.in
6	बिहार	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	मुजफ्फरपुर	संस्थान, गौशाला रोड, पो.ऑ. रमना, मुजफ्फरपुर-842002.	0621-2282486/2284425	0621-2282486	dcdi-mzfpur@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	पटना	पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एस्टेट, पटना -800013	0612-2262208 0612-2263211	0612-2262719	dcdi-patna@dcmsme.gov.in
7	छत्तीसगढ़	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	रायपुर	उरकुरा रेलवे स्टेशन के निकट, भानपुरी औद्योगिक क्षेत्र, पोस्ट-बीरगाँव, रायपुर (छत्तीसगढ़)-493221	0771-2427719	0771-2422312	dcdi-raipur@dcmsme.gov.in

8	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	सिलवासा	मासत औद्योगिक एस्टेट, सिलवासा -396230	0260-2640933	0260-2640933	brdcdi-silv@dcmsme.gov.in
9	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	नई दिल्ली	बाल सहयोग केंद्र, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001		011-23411950	dcdi-ndelhi@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	नई दिल्ली	शहीद कैप्टन गौड़ मार्ग, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट के सामने, नई दिल्ली-110 020.	011-26847223 26838369	011-26838016	dcdi-ndelhi@dcmsme.gov.in
10	गोवा	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	मडगांव	कोंकण रेलवे स्टेशन के सामने (क्यूपेम रोड), मडगांव-403 601.	0832-2705093 2705094	0832-2710525	dcdi-goa@dcmsme.gov.in
11	गुजरात	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	अहमदाबाद	"एमएसएमई टावर", सीआईएमएस हॉस्पिटल के पास, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद (गुजरात)-380060	079-27543147, 27544248	079-27540619	dcdi-ahmbad@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	राजकोट	तृतीय तल, एनेक्सी बिल्डिंग, अमृता (जसानी) बिल्डिंग परिसर, गिरनार सिनेमा के निकट, एमजी रोड, राजकोट-360001	0281-2471045	0281-2471045	brdcdi-rajk@dcmsme.gov.in
12	हरियाणा	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	करनाल	11-ए, औद्योगिक विकास कालोनी, आईटीआई के पास कुंजपुरा रोड, करनाल-132 001.	0184-2208100/ 2208113	0184-2208114	dcdi-karnal@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	भिवानी	आईटीआई कैम्पस, हांसी रोड, भिवानी -127021.	01664-243200	01664-243200	brdcdi-bhiw@dcmsme.gov.in
13	हिमाचल प्रदेश	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	सोलन	इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पलेक्स, चम्बाघाट, सोलन-173213.	01792-230265	01792-230766	dcdi-solan@dcmsme.gov.in
14	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	जम्मू तवी	इंडस्ट्रियल एस्टेट डिगियाने, जम्मू तवी	0191-2431077	0191-2431077	dcdi-jammu@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	जम्मू	36, बी/सी, गांधी नगर, जम्मू -180004.	0191-2431077	0191-2450035	dcdi-jammu@dcmsme.gov.in

15	झारखंड	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	धनबाद	कतरास रोड, मटकुरिया, धनबाद -826001.	0326-23063380	0326-23063380	brdcdi-dhan@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	रांची	इंडस्ट्रियल एस्टेट, कोकर, रांची -834001	0651-2546133	0651-2546235	dcdi-ranchi@dcmsme.gov.in
16	कर्नाटक	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	हुबली	इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोकुल रोड, हुबली -580 030	0836-2330389, 0836-2332334	0836-2330389	dcdi-hubli@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	बेंगलुरु	राजाजी नगर, इंडस्ट्रियल एस्टेट, बेंगलुरु -560 010.	080-23151540, 080-23151581, 080-23151582	080-23144506	dcdi-bang@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	मंगलौर	एल-11 इंडस्ट्रियल एस्टेट, येय्याडी, मंगलौर -575005	0824-2217936		brdcdi-mang@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	गुलबर्गा	पहला तल, संख्या.1-1165/एल7/ए/1, वार्ड संख्या 48, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने, पीडीए इंजीनियरिंग कॉलेज रोड, ऐवान-ए-शाही, कलबुरगी (गुलबर्गा), कर्नाटक -585102.	08472-420944		Brdcdi-gulb@dcmsme.gov.in
17	केरल	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	त्रिशूर	कंजनी रोड, अय्यानतोल,पी.ओ. त्रिशूर -680003	0487-2360686/638/	0487-2360536/216	dcdi-thrissur@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई-टीआई	तिरूवला	मंजड़ी पी.ओ., तिरूवला, पठानमथिट्टा -689105	0469-2701336	0469-2701336	msmeti@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई टीआई/टीएस	एट्टुमानूर	पो.बा.सं. 7, एट्टुमानूर , कोट्टयम-686631, केरल	0481-2535563	0481-2535523	msmeti-ettu@dcmsme.gov.in
18	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	एमएसएमई-न्यूक्लियस सेल	लक्षद्वीप	अमीनी, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र -682552	0487-2360216		dcdi-thrissur@dcmsme.gov.in
19	मध्य प्रदेश	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	ग्वालियर	7, इंडस्ट्रियल एस्टेट, तानसेन रोड, ग्वालियर -474004	0751-2422590		dcdgwl.msme@.gov.in

		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	रीवा	उद्योग विहार, चौरहट्टा, रीवा - 486001.	0766-2222448		dcdi-reva.msme@.gov.in
		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	इंदौर	10, इंडस्ट्रियल एस्टेट, पोलो ग्राउंड, इंदौर -452015	0731-2421659/ 0731 2421037	0731-2420723	dcdi-indore@dcmsme.gov.in
20	महाराष्ट्र	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	औरंगाबाद	पी-83, एमआईडीसी चिकलथना, नरेगाँव रोड, औरंगाबाद-431006.	0240-2485430	0240-2484204	brdcdi-aura@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	मुंबई	कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका, मुंबई - 400072	91-22-28576090	91-22-28578092	dcdi-mumbai@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	नागपुर	ब्लॉक-सी, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, सेमिनारी हिल, नागपुर-431006	0712-2510352	0712-2511985	dcdi-nagpur@dcmsme.gov.in
21	मणिपुर	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	इम्फाल	सी-17/18, तकयेलपट, इंडस्ट्रियल एस्टेट इम्फाल-795 001	7005711045		dcdi-imphal@dcmsme.gov.in
22	मेघालय	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	तुरा	डकोपगरे टीवी टॉवर के निकट, तुरा – 794101	03651-222569	03651-222569	brdcdi-tura@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	शिलांग	वी.के. बजोरिया स्कूल के सामने. शिलॉंग - 7930.. शिलांग-	0364-2223349	0364-2223349	brdcdi-shil@dcmsme.gov.in
23	मिजोरम	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	आइज़ोल	शाखा एमएसएमई-विकास संस्थान, कालेज वेंग, हाउस नं. वी-37, टैक्सी स्टैंड के निकट, आइजवाल -796001	0389-2323448		brdcdi-aizw@dcmsme.gov.in
24	नागालैंड	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	आइज़ोल	एमएसएमई विकास संस्थान, 6th मील , सोविमा, छठा मील 797115, नागालैंड	03862-248552	03862-248552	brdcdi-dima@dcmsme.gov.in
25	ओडिशा	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	कटक	विकास सदन, कालेज स्क्वायर, कटक -753 003	0671-2548077	0671-2548006	dcdi-cuttack@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-	रायगड	आर. के. नगर, रायगढ़ -	06852-222268	06856-	brdcdi-

		विकास सुविधा केंद्र		765001		235968	raya@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	राउरकेला	सी-9, इंडस्ट्रियल एस्टेट, राउरकेला-769004	0661-2507492	0661-2402492	brdcdi-rour@dcmsme.gov.in
26	पंजाब	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	लुधियाना	प्रताप चौक के निकट, संगीत सिनेमा के सामने, औद्योगिक क्षेत्र-बी, लुधियाना – 141003	0161-2531733, 734	0161-2533225	dcdi-ludhiana@dcmsme.gov.in
27	राजस्थान	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	जयपुर	गोदाम संख्या 2 के सामने, बैस गोदाम इंडस्ट्रियल एस्टेट, जयपुर, राजस्थान - 302006.	0141-2210553, 2212098	0141-2210553	dcdi-jaipur@dcmsme.gov.in
28	सिक्किम	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	गंगटोक	ऊपरी तदोंग, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, एनएच - 31ए, गंगटोक, सिक्किम -737101	03592-204666	03592-231262	dcdi-gangtok@dcmsme.gov.in
29	तमिलनाडु	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	चेन्नई	65/1, जी.एस.टी. रोड, गुइंडी, पो.बा. 3746, चेन्नई-600 032	044-22501011/12/13	044-22341014	dcdi-chennai@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास संस्थान	कोयम्बटूर	386, पटेल रोड, राम नगर, कोयम्बटूर	0422-2230426	0422-2233956	brdcdi-coim@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	मदुरै	प्लॉट सं. पीपी11, टैनसिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट,मेलुर मुख्य सड़क, के पुदूर, मदुरै, तमिलनाडून 625007.	0461-2375345		dcdi-chennai@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	तिरुनेलवेली	शेड नं. 7 और 8 इंडस्ट्रियल एस्टेट, पेट्टई तिरुनेलवेली 627010	0462-2342137		Brmsmedi-tin@gmail.com
30	त्रिपुरा	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	अगरतला	एमएसएमई-विकास संस्थान, इंद्रानगर (आईटीआई प्ले ग्राउंड के निकट), पो.ऑ. कुंजाबन, अगरतला - 7999006	0381-2326570		dcdi-agartala@dcmsme.gov.in
31	उत्तर प्रदेश	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	आगरा	34, इंडस्ट्रियल एस्टेट, नुनहाई, आगरा-282 006	0562-2280879/2280882	0562-2523247	dcdi-agra@dcmsme.gov.in

		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	इलाहाबाद	ई-17/18, उद्योग नगर, नैनी, इलाहाबाद-211008	0532-2697468	0532-2696809	dcdi-allbad@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	कानपुर	107, इंडस्ट्रियल एस्टेट, कल्पी रोड, कानपुर-208 012.	0512-2240143	0512-2240143	dcdi-kanpur@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	वाराणसी	चांदपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, वाराणसी-221106.	0542-2370621	0542-2371320	brdcdi-vara@dcmsme.gov.in
32	उत्तराखंड	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	हल्द्वानी	खाम बंगला कैम्पस, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी -263 139.	05946-221053, 220853	05946-228353	dcdi-haldwani@dcmsme.gov.in
33	पश्चिम बंगाल	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	कोलकाता	111 और 112, बी.टी. रोड, कोलकाता-700 108	033-25775531	033-25100524	dcdi-kolkata@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	सूरी (बीरभूम)	आर.एन. टैगोर रोड, पुलिस लाइन के निकट, पीओ-सूरी, जिला-बीरभूम, पश्चिम बंगाल-731101	03462-255402	03462-255402	brdcdi-birb@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	दुर्गापुर	आरए-39 (भूतल), उर्वशी (फेज 2), बंगाल अम्बुजा, ताराशंकर सरणी, सिटी सेंटर, दुर्गापुर - 713 216.	0343-2547129		brdcdi-durg@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	सिलिगुड़ी	इंडस्ट्रियल एस्टेट, सेवोके रोड, सेकंड माइल, सिलिगुड़ी - 734 001.	0353-2542487		brdcdi-sili@dcmsme.gov.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

"भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं"

- महात्मा गांधी